आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Tribal Development Department

Vocational Education Fee Reimbursement

इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पशुपालन, डेयरी विकास, वास्तुशास्त्र, MBA और MCA जैसे व्यावसायिक कोर्स के अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन और परीक्षा फीस, यदि माता-पिता की आय 2.5 लाख रुपये से अधिक हो।

क्या मिल सकता है

स्वीकृत कॉलेज फीस संरचना के अनुसार ट्यूशन फीस और परीक्षा फीस।

किसके लिए है

व्यावसायिक कोर्स में नामांकित अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी जिनके माता-पिता की आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है।

मुख्य शर्तें

- अनुसूचित जनजाति का
- परिवार की सालाना आय 2,50,000 रुपये से अधिक
- इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पशुपालन, डेयरी विकास, वास्तुशास्त्र, MBA या MCA जैसे व्यावसायिक कोर्स में नामांकित
- किसी साल में फेल होने पर उस साल का भुगतान नहीं होता, और नवीनीकरण के लिए पिछले साल की परीक्षा पास होना ज़रूरी है।

दस्तावेज़

- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र
- अधिवास प्रमाणपत्र
- कॉलेज प्रवेश की रसीद
- जाति वैधता प्रमाणपत्र

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://mahadbt.maharashtra.gov.in/SchemeData/SchemeData?str=E9DDFA703C38E51A903EC510F2DCBF009D17A0AB763F0C2343B13AF0AB323366
आधिकारिक आवेदन: https://mahadbt2.maharashtra.gov.in/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mahadbt-vocational-education-fee-reimbursement-tribal/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।